राजकीय महाविद्यालय राजगढ, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2014 से 3/2016

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, जिला सिरमौर के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के सम्बंध में महाविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के पश्चात पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :–

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2014 तक

पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क के प्रेषण/जमा के सत्यापनोपरान्त निर्णीत किया गया।)
पैरा 4	समाप्त	(वित्तीय स्थिति, कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।)
पैरा 5	निर्णीत	(की गई अपेक्षित कार्यवाही का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।)
पैरा 6(1)	निर्णीत	(₹2800/– की वसूली का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।)
पैरा 6(2)	निर्णीत	(₹678/– की वसूली का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।)
पैरा 6(3)	निर्णीत	(₹32690/– के ऋण की वसूली का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।)
पैरा 6(4)	अनिर्णीत	––
पैरा 7	अनिर्णीत	––
पैरा 8	निर्णीत	(की गई अपेक्षित कार्यवाही का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।)
पैरा 9	निर्णीत	(की गई अपेक्षित कार्यवाही तथा प्रस्तुत औचित्य के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।)

पैरा 10	समाप्त	(वर्तमान अवधि 04/2014 से 03/2016 के प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त किया गया।)
पैरा 11	समाप्त	(वर्तमान अवधि 04/2014 से 03/2016 के प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपण के दृष्टिगत समाप्त किया गया।)

अनिर्णीत पैरों का सार

दिनाँक 01.04.14 को अनिर्णीत पैरों का आरम्भिक शेष	12
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	(+) 22
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	(–) 10
दिनाँक 31.03.16 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	24

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, जिला सिरमौर के अवधि 4/2014 से 3/2016 के निधि लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गए हैं, श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 14.03.2017 से 24.03.2017 तक के दौरान राजगढ़ में किया गया। अंकेक्षण हेतु आय एवं व्यय की विस्तृत जाँच हेतु क्रमशः माह 02/2015 व 11/2015 तथा 09/2014 एवं 10/2015 का चयन किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार प्रधानाचार्य ने राजकीय महाविद्यालय में आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य कियाः–

क्र0सं0	**आहरण वितरण अधिकारी का नाम**	**पदनाम**	**कार्यभार अवधि**
1.	डॉ0राम चन्द शर्मा	प्रधानाचार्य	1–4–2014 से 31–03–2015
2	प्रो0गोविन्द सिंह नेगी	सह0प्राध्यापक (इतिहास) कार्यवाहक	1–4–2015 से 26–6–2015
3	डॉ0ओ0पी0चौहान	सह0प्राध्यापक (संगीत) कार्यवाहक	27–6–2015 से 2–7–2015
4.	डॉ0 शकुन्तला वर्मा	प्रधानाचार्य	3–7–2015 से 31–3–2016

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। संस्था द्वारा किसी भी गलत सूचना के प्रस्तुत करने, किसी सूचना के प्रस्तुत न करने अथवा अपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत ज़ाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

विद्यालय के अवधि 4/2014 से 3/2016 के छात्र निधि लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क निम्न विवरणानुसार ₹16,000 (सोलह हजार रुपये) आंका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को रेखांकित मल्टी सिटी चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या अं.वृ.बिलासपुर/एल.ए.डी./2017/–44 दिनांकः 18/03/2017 द्वारा प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया। प्रधानाचार्य द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को हिमाचल राज्य सहकारी बैंक के बैंक ड्राफ्ट संख्या 051816 दिनांक 21–03–2017 जो कि बैंक की शिमला शाखा में देय है, द्वारा भेज दिया गया।

सत्र	छात्र निधियों की आय	अंकेक्षण शुल्क
2014–15	6,90,684	8,000
2015–16	7,65,755	8,000
	कुल योग	**16,000**

4 वित्तीय स्थितिः–

राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत अवधि 1.4.2014 से 31.3.2016 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित हैः–

अवधि	प्रारम्भिक शेष	निधियों से आय	प्राप्त ब्याज	कुल योग	वर्ष के दौरान कुल व्यय	अन्त शेष
2014–15	712221	655673	35011	1402905	295682	1107223
2015–16	1107223	713142	52613	1872978	427282	1445696

दिनांक 31–03–2016 को उपरोक्त ₹14,45,696 की अन्तशेष की राशि को निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार बैंक खातों में जमा रखा गया हैः–

क्र0	निधि का नाम	बचत खाते में जमा/शेष	हि. प्र. रा. सह. बैंक राजगढ़ खाता संख्या
1	स्पोर्टस युवा व अवकाश निधि	400877	12713
2	पुस्तकालय प्रतिभूती	57737	12716
3	परीक्षा निधि	17258	12707
4	पत्रिका निधि	120922	12711
5	यूनियन फण्ड	417882	12718
6	मैडिकल निधि	23078	12704
7	छात्र सहायता निधि	9415	12717
8	एन सी सी निधि	3634	12705
9	परिचय पत्र निधि	25164	12715
10	कल्चरल डेवेल्पमैन्ट निधि	17293	12709
11	रैड क्रॉस निधि	850	12706
12	कैम्पस विकास निधि	2834	12708
13	बुक रिपलेसमैन्ट निधि	76199	12703
14	फर्निचर रिपेयर निधि	38499	12712
15	अनुपस्थिति जुर्माना निधि	92479	12968
16	रोवर्स–रेन्जर एक्टिविटि निधि	42618	12710
17	सोसायटी क्लब निधि	4912	12757
18	कम्पयूटर इन्टर नैट	24386	16375
19	ज्योग्राफी निधि	69659	16292
	कुल योग	**1445696**	

5 निवेशः–

दिनांक 31–03–2016 को महाविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र निधियों में से किए गए बैंक सावधि जमा निवेश का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया हैः–

क्र	निधि का नाम	निवेश खाता संख्या	निवेश दिनांक	निवेशित राशि	परिपक्वता दिनांक	परिपक्वता राशि	बैंक का नाम
1	एन सी सी	1913468	17–10–2015	10000	17–10–2016	10830	हि प्र रा सह बैंक राजगढ़
2	कल्चरल डेवेल्पमैन्ट	1913469	17–10–2015	25000	17–10–2016	27074	यथोपरि
3	रैड क्रॉस	1913473	17–10–2015	12000	17–10–2016	12996	यथोपरि
4	कैम्पस विकास	1913471	17–10–2015	35000	17–10–2016	37904	यथोपरि
5	रोवर्स–रेन्जर	1913472	17–10–2015	50000	17–10–2016	54148	यथोपरि
6	कम्पयूटर इन्टर नैट	1913470	17–10–2015	25000	17–10–2016	27074	यथोपरि
	कुल योग			**157000**		**170026**	

परिपक्वता उपरान्त प्राप्त ब्याज की राशि का उचित तरीके से रोकड़ बही में लेखांकन करते हुए परिपक्वता राशि का यथासमय पुर्ननिवेश सुनिश्चित किया जाए।

6 निवेश रजिस्टर का निर्माण न करने बारेः–

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के लिए महाविद्यालय द्वारा निवेश रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था। इस प्रकार के अभिलेख के अभाव में निवेशित राशि की परिपक्वता पर मिलने वाले ब्याज, प्राप्त की गई परिपक्वता राशि के यथासमय रोकड़ बही में लेखांकन से छूटने की संभावना के अतिरिक्त इसकी अंकेक्षण के दौरान जांच में भी सम्भव नहीं हो सकी। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि निवेश रजिस्टर का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 निवेश की गई राशियों को रोकड़ बही के शेष से बाहर करने बारेः–

रोकड़ बही की जांच में पाया कि निवेश की गई राशि जिसका दिनांक 31–03–2016 को निवेश मूल्य ₹1,57,000/– है को रोकड़ बही के शेष का भाग बनाने के स्थान पर इस निवेश को दिनांक 17–10–2015 को व्यय के रूप में लेखाकित किया गया है। इस प्रकार दिनांक 31–03–2016 को छात्र निधियों की रोकड़ बही के वास्तविक शेष ₹16,02,696/– (14,45,696+1,57,000) के स्थान पर ₹14,45,696/– दर्शाया गया है।

जिसके कारण महाविद्यालय की रोकड़ बही लेखांकन के मूल सिद्धांतों के अनुसार वास्तविक एवं सम्पूर्ण स्थिति प्रदर्शित नहीं करती। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

8 सावधि जमा में अतिरिक्त निवेश की संभावनाः–

महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2015 में ₹1,57,000/– को निवेश बैंक सावधि जमा में निवेशित किया गया है तदापि गत अनुच्छेद 4 में वर्णित राशियों तथा व्यय के लेन देन की संख्या (number of transactions) के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि बहुत से निधि खातों में अभी भी एक बड़ी राशि ज्यादातर समय बिना उपयोग के ही शेष में पड़ी थी। इन राशियों में से यदि सामयिक आवश्यकता की राशि के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को अल्पावधि सावधि में निवेश किया जाता है तो इन निधियों पर निश्चित रुप से और अधिक अतिरिक्त ब्याज प्राप्त किया जा सकता था। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में सामयिक आवश्यकताओं हेतु समुचित राशि को बचत खाते में छोड़कर उपलब्ध शेष को समय–समय पर अल्पावधि सावधि जमा में निवेशित करना सुनिश्चित किया जाए ताकि महाविद्यालय को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

9 बैंक समाधान विवरणी को तैयार न करनाः–

महाविद्यालय द्वारा छात्र निधियों में उपलब्ध ₹16,02,696/– की धनराशि को गत अनुच्छेद 4 व 5 में वर्णित 19 बैंक बचत खातों तथा 6 सावधि जमा निवेश खातों में रखा गया है। परन्तु महाविद्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के प्रावधानों तथा लेखांकन के मूल–भूत नियमों की अनुपालना में बैंक खातों में उपलब्ध राशि तथा रोकड़ बही में दर्शाए जा रहे शेष का मिलान करते हुए प्रतिमाह बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जाती है। जिसके कारण अंकेक्षण के दौरान भी वित्तीय स्थिति तैयार करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 बन्द की जा चुकी निधियों के बैंक खातों का संचालन करनाः–

राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ द्वारा निम्न विवरणानुसार रैड क्रॉस निधि तथा सोसायटी क्लब निधि के लेन देन हेतु दो बैंक खातों का संचालन किया जा रहा हैः–

क्र•	निधि	अन्तिम जमा की दिनांक	अन्तिम जमा राशि	दिनांक 31.3.2016 का शेष
1	रैड क्रॉस निधि	21.11.2011	6.00	850.00
2	सोसायटी क्लब निधि	21.11.2011	5.00	4912.00

अंकेक्षणावधि के दौरान की प्रवेश विवरणिकाओं में इन निधियों को वसूल किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है जिससे स्पष्ट है कि इन निधियों को अब बन्द किया जा चुका है। जिसके कारण अब इन बैंक खातों के संचालन का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। अतः इस सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण के साथ इन बैंक खातों के अन्त शेष का निपटारा विभागीय निर्देशों के अनुसार करते हुए इन्हें बन्द करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 पत्रिका निधि वसूली के उपरान्त भी पत्रिका का प्रकाशन न करनाः–

महाविद्यालय द्वारा छात्रों से ₹50/– प्रतिवर्ष प्रतिछात्र की दर से दो वर्षों के दौरान ₹40400/– (18750+21650) पत्रिका निधि वसूल की गई है। इस निधि को स्थापित करने का मूल उद्देश्य छात्रों में कलात्मक अभिरूचियों का विकास करना है। परन्तु महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान एक भी शैक्षणिक सत्र में पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया गया जिससे निधि प्राप्ति का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। अतः महाविद्यालय में पत्रिका निधि वसूल करके पत्रिका प्रकाशित न करने बारे औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमित रूप से पत्रिका प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए ताकि प्राप्त निधि को न्यायोचित ठहराए जाने के अतिरिक्त विद्यार्थियों का समग्र विकास भी सुनिश्चित हो सके।

12 एन0सी0सी0 यूनिट को महाविद्यालय में चलाए बिना निधि की वसूली करनाः–

महाविद्यालय द्वारा छात्रों से ₹5/– प्रतिवर्ष प्रतिछात्र की दर से दो वर्षों के दौरान ₹4040/– (1875+2165) एन0सी0सी0 निधि वसूल की गई है। परन्तु महाविद्यालय में अंकेक्षणावधि के दौरान एन0सी0सी0 यूनिट का संचालन नहीं किया जा रहा था। जिसके कारण इस निधि की वसूली उचित प्रतीत नहीं होती है। अतः इस निधि को वसूल किए जाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 कालातीत पुस्तकालय प्रतिभूतियों की ₹1.12 लाख को जब्त न करनाः—

महाविद्यालय प्रवेश विवरणिका (सन्दर्भ हेतु वर्ष 2015—16 की विवरणिका ली गई है) में छात्र निधियों के भुगतान के सन्दर्भ में प्रतिपादित नियमों में क्रमांक 8 पर दिए गए नियम के अनुसार यदि कोई छात्र महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात एक वर्ष के भीतर दावा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूतियां जब्त कर ली जाएंगी तथा किसी भी सूरत में तदोपरान्त उसे इनका भुगतान नहीं किया जाएगा। पुस्तकालय प्रतिभूति रजिस्टर की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय प्रवेश विवरणिका में प्रतिवर्ष स्पष्ट प्रावधान किए जाने के बावजूद भी निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार ₹1,12,300/— की कालातीत पुस्तकालय प्रतिभूतियों की राशि को निर्धारित एक वर्ष की अवधि के बाद भी जब्त नहीं किया गया हैः—

क्र	शैक्षणिक सत्र	दावा न करने वाले छात्रों की संख्या	प्रतिभूति दर	कुल कालातीत प्रतिभूति राशि
1	2005—06	54	100	5400.00
2	2006—07	106	100	10600.00
3	2007—08	83	100	8300.00
4	2008—09	121	100	12100.00
5	2009—10	152	100	15200.00
6	2010—11	143	100	14300.00
7	2011—12	174	100	17400.00
8	2012—13	137	100	13700.00
9	2013—14	153	100	15300.00
			कुल योग	**112300.00**

अतः इस सन्दर्भ में तथ्यपूरक वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 मिश्रित निधि से यात्रा भत्ते का अनुचित भुगतानः—

मिश्रित निधि के लेखाओं की जांच के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही के पृष्ठ 108 पर दिनांक 02/09/2014 को दर्ज प्रविष्टि के अनुसार ₹752/— की राशि श्री राम चन्द शर्मा, तत्कालीन प्रधानाचार्य को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में मीटिंग में भाग लेने हेतु

यात्रा भत्ते के रूप में भुगतान की गई है। परन्तु यह भुगतान संस्थापना व्यय से सम्बन्धित है जिस कारण से यह मिश्रित निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस अनुचित भुगतान की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 बिना व्यय वाउचरों के रोकड़ बही में दर्ज ₹0.18 लाख का संदिग्ध व्ययः–

रोकड़ बही के पृष्ठ 107 पर दिनांक 17/09/2014 को ''क्रीड़ा, छात्र कल्याण व होलीडे होम निधि'' के अन्तर्गत ₹18,052/– का व्यय दर्ज किया गया है। परन्तु इस व्यय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का व्यय वाउचर अथवा रसीद इत्यादि अंकेक्षण के दौरान जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई है जिस कारण से यह व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः इस व्यय की प्राथमिकता के आधार पर विस्तृत जांच करके वस्तुस्थिति व अभिलेख आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए अथवा इस राशि की वसूली हेतु सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध उचित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 संगीत वाद्य यन्त्रों की खरीद में ₹0.32 लाख का अधिक भुगतानः–

महाविद्यालय की छात्र निधियों की रोकड़ बही व वाउचर नस्तियों की जांच में पाया गया कि निधि रोकड़ बही के पृष्ठ 125 पर दिनांक 8–3–2016 को ₹56,800/– का भुगतान मै0 शिमला म्यूज़िक हाउस, सैक्टर 27–सी, चण्डीगढ़ को उनके बिल संख्या 031 व 032 दिनांक 08–03–2016 हेतु किया गया है। यह खरीद पांच प्रकार के छः वाद्य यन्त्रों के लिए चार फर्मों से निविदाएं लेने के बाद की गई थी। इन निविदाओं के अवलोकन पर निम्नलिखित विसंगतियां दर्ज की गई हैंः–

1. निविदा आमन्त्रण पत्र के उत्तर में चार फर्मों क्रमशः हिमाचल म्यूज़िक हाउस कच्ची घाटी शिमला, चण्डीगढ़ म्यूज़िक हाउस सैक्टर 34–सी चण्डीगढ़, शिमला म्यूज़िक हाउस सैक्टर 27–सी चण्डीगढ़ तथा कपूर स्पोंटस मनीमाजरा चण्डीगढ़ द्वारा निविदाएं दी गई थीं।
2. निविदा आम़त्रण पत्र में क्रम संख्या 1 पर मात्र वाद्ययन्त्र स्केल चेन्जर (हारमोनियम) के मूल्य मांगे गए थे परन्तु तुलनात्मक मूल्य विवरणी तैयार करते समय स्केल चेन्जर के साथ शब्द ''बैस्ट क्वालिटि'' जोड़ दिया गया है।
3. गत उप–अनुच्छेद 1 में वर्णित फर्म 1 ने बैस्ट क्वालिटि यन्त्र के लिए ₹31800/– तथा ऑर्डिनरी यन्त्र के लिए ₹24800/– के मूल्य की निविदा दी थी। अन्य तीन फर्मों ने क्रमशः ₹29500/–, ₹28000/– तथा ₹29000/– के मूल्य की निविदा दी थी परन्तु अन्य तीन

फर्मों में से किसी ने भी अपनी निविदा में बैस्ट क्वालिटि अथवा ऑर्डिनरी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इस प्रकार ₹24800 न्यूनतम मूल्य था।

4. तुलनात्मक मूल्य विवरणी में फर्म क्रमांक 1 के बैस्ट क्वालिटि वाले ₹31800/– को ही शामिल किया गया है तथा बिना कोई कारण स्पष्ट किए ऑर्डिनरी यन्त्र के मूल्य ₹24800/– जो कि न्यूनतम था को विवरणी में शामिल ही नहीं किया गया है। इस कारण से फर्म क्रमांक 3 शिमला म्यूज़िक हाउस सैक्टर 27–सी चण्डीगढ़ का मूल्य ₹28000/– न्यूनतम पाया गया है तथा उसी से यह खरीद की गई है। इस प्रकार ₹3200/– का अधिक भुगतान किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बिना कोई तकनीकी कारण स्पष्ट करते हुए फर्म क्रमांक 1 के न्यूनतम मूल्य ₹24800/– को तुलना में शामिल न करके फर्म क्रमांक 3 के मूल्य ₹28000/– पर यह खरीद करके ₹3200/– का अनियमित भुगतान किया गया है। अतः इसके बारे में तथ्यपूरक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए अथवा इस ₹3200/– की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

17 क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के दौरान प्रशिक्षकों को ₹1500 के मानदेय का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान छात्र निधियों की रोकड़ बही तथा व्यय वाउचरों की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली छात्रों की क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के दौरान गैर–सरकारी कर्मचारी खेल प्रशिक्षको की सेवाएं रैफरी/अंपायर आादि के रूप में ली जाती हैं। इन सेवाओं के बदले में खेल प्रशिक्षकों को ₹500/– प्रति कार्यदिवस की दर से मानदेय का भुगतान किया गया है।

क्र	**प्रशिक्षक का नाम व विवरण**	**रोकड़ बही पृष्ठ**	**दिनांक**	**दर प्रतिदिन**	**कुल कार्य दिवस**	**कुल भुगतान**	**उद्देश्य**
1	मनोज कुमार, पी ई टी, एस वी एन स्कूल, राजगढ़	111	3.12.14	500	1	500.00	दिनांक 22.11.14 को एक दिन की महाविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन।

2	देवेन्द्र, पी ई टी, एस वी एन स्कूल, राजगढ़	111	3.12.14	500	1	500.00	दिनांक 22.11.14 को एक दिन की महाविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन।
3	मनोज कुमार, पी ई टी, एस वी एन स्कूल, राजगढ़	125	4.3.16	500.00	1	500.00	दिनांक 4.3.16 को एक दिन की महाविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन।
	कुल भुगतानः–					**1500.00**	

उपरोक्त भुगतान के सन्दर्भ में अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैंः–

1. भुगतान किए गए मानदेय की दर का निर्धारण किन नियमों के अनुसार किया गया है के बारे में किसी प्रकार का विभागीय/सरकारी आदेश अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण से इसकी दर के औचित्य की पुष्टि नहीं की जा सकी है।
2. किसी अन्य राजकीय महाविद्यालय अथवा राजकीय पाठशाला से सरकारी कर्मचारी/खेल प्रशिक्षक को रैफरी/अंपायर के रूप में प्रतियोगिता में आमन्त्रित करने के स्थान पर गैर–सरकारी प्रशिक्षक को बुलाने के बारे में अंकेक्षण के दौरान कोई औचित्य/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त त्रुटियों के कारण अंकेक्षणावधि के दौरान किया गया यह ₹1500/– का भुगतान अनियमित है जिसे सक्षम उच्चाधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण के साथ भविष्य हेतु नियमानुसार उचित कार्यपद्धति का अपनाया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 शैक्षणिक सत्र 2015–16 में अपर्याप्त मूल्य निर्धारण के कारण प्रवेश विवरणिका की बिक्री में ₹950/– की हानिः–

शैक्षणिक सत्र 2015–16 में महाविद्यालय द्वारा मै0 विशाल ग्रफिक्स राजगढ़ के बिल संख्या 215 दिनांक 9–6–2015 द्वारा ₹22150/– में 500 प्रवेश विवरणिकाओं की छपाई ₹44.30/– प्रति की दर से करवाई गई थी। इन विवरणिकाओं की प्रविष्टि निधि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 151 पर की गई है। इनमें से 424 विवरणिकाओं की बिक्री दिनांक 11–06–2015 से 16–07–2015 तक ₹50/– प्रति की दर से ₹21,200/– में की गई है। इस प्रकार निधि को इन विवरणिकाओं की छपाई व बिक्री में ₹950/– (22150–21200) की हानि हुई है। अंकेक्षण इस सच्चाई से अनभिज्ञ नहीं है कि छपाई गई समस्त विवरणिकाओं को बेचा नहीं जा सकता है। तदापि गत वर्षों के अनुभव के आधार पर इन विवरणिकाओं का बिक्री मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता था कि शेष बची प्रतियों के कारण निधि को हानि न हो। अतः इस प्रकार अपर्याप्त मूल्य निर्धारण के कारण हुई हानि बारे तथ्यपूरक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु प्रवेश विवरणिकाओं का मूल्य निर्धारण इस प्रकार से किया जाए कि इस तरह की अनावश्यक हानि से बचा जा सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

19 शुल्क देरी से जमा करवाने पर छात्रों से जुर्माना ₹3417/– की वसूल न करनाः–

महाविद्यालय की प्रवेश विवरणिका (वर्ष 2014–15 तथा 2015–16) में छात्रों से वसूल की जाने वाली निधियों के भाग (बी) में दिए गए विवरण के अनुसार छात्रों से मासिक आधार पर वसूल की जाने वाली निधियों को देरी से जमा करवाने पर ₹1/– प्रतिदिन की दर से जुर्माना वसूल किए जाने का प्रावधान है। परन्तु निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार अंकेक्षणावधि के दौरान चयनित माह में जांच के दौरान सामने आए प्रकरणों में पाया गया कि छात्रों द्वारा देरी से निधियां जमा करवाने के बावजूद भी उपरोक्त जुर्माना वसूल नहीं किया गया है जबकि उसी अवधि की देरी के लिए उन्हीं छात्रों से दाखिला शुल्क पर प्राप्य जुर्माना की वसूली ₹10/– प्रतिदिन की दर कर ली गई है। यह एक गम्भीर अनियतिमतता है अतः इस चूक बारे उचित स्पष्टीकरण सहित इसकी वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	दिनांक	निधि जमा करवाने वाले छात्रों की संख्या	जितने दिन की देरी से जमा करवाया गया	प्राप्य जुर्माना राशि (₹)
1	21.6.14	22	1	22.00
2	23.6.14	50	3	150.00
3	24.6.14	40	4	160.00
4	25.6.14	40	5	200.00
5	26.6.14	19	6	114.00
6	27.6.14	17	7	119.00
7	28.6.14	7	8	56.00
8	30.6.14	38	10	380.00
9	4.7.14	3	14	42.00
10	5.7.14	1	15	15.00
11	10.7.14	4	20	80.00
12	11.7.14	4	21	84.00
13	12.7.14	5	22	110.00
14	9.2.15	11	1	11.00
15	10.2.15	5	2	10.00
16	11.2.15	6	3	18.00
17	12.2.15	2	4	8.00
18	13.2.15	2	5	10.00
19	14.2.15	1	6	6.00
20	22.6.15	5	2	10.00
21	23.6.15	70	3	210.00
22	24.6.15	27	4	108.00
23	25.6.15	16	5	80.00
24	26.6.15	10	6	60.00
25	27.6.15	17	7	119.00
26	29.6.15	8 (सेमेस्टर 1)	2	16.00
27	29.6.15	1 (सेमेस्टर 5)	9	9.00

28	30.6.15	4 (सेमेस्टर 1)	3	12.00
29	30.6.15	5 (सेमेस्टर 3)	10	50.00
30	14.7.15	4 (सेमेस्टर 1)	17	68.00
31	14.7.15	2 (सेमेस्टर 3)	24	48.00
32	15.7.15	8 (सेमेस्टर 1)	18	144.00
33	15.7.15	1 (सेमेस्टर 3)	25	25.00
34	16.7.15	5 (सेमेस्टर 1)	19	95.00
35	17.7.15	4 (सेमेस्टर 1)	20	80.00
36	17.7.15	1 (सेमेस्टर 3)	27	27.00
37	20.7.15	9 (सेमेस्टर 1)	23	207.00
38	20.7.15	1 (सेमेस्टर 3)	30	30.00
39	16.11.15	25	4	100.00
40	17.11.15	7	5	35.00
41	20.11.15	12	8	96.00
42	26.11.15	8	14	98.00
43	1.12.15	5	19	95.00
			कुल योग	**3417.00**

20 अनुपस्थिति जुर्माने की ₹1283/– की कम वसूली करनाः–

अनुपस्थिति जुर्माने का संकलित अभिलेख/रजिस्टर महाविद्यालय में अवधि 2015–16 के लिए ही उपलब्ध था जिसकी जांच में पाया गया कि निम्न तालिका में दिए गए विवरणानुसार ₹1283/– अनुपस्थिति जुर्माने की कम वसूल की गई है। यह एक गम्भीर अनियतिमतता है अतः इस चूक बारे उचित स्पष्टीकरण सहित इसकी वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र	**लगाए गए जुर्माने का विवरण**			**वसूले गए जुर्माने का विवरण**			**अन्तर**
	अनुपस्थिति अवधि	**कक्षा**	**लगाया गया जुर्माना**	**निधि रोकड़ बही पृष्ठ**	**वसूली माह**	**वसूल की गई राशि**	
1	जनवरी से जून 2015	बीए –1, सेमेस्टर 2	4207.00				

2	जनवरी से जून 2015	बीए –2, सेमेस्टर 4	2432.00				
	कुल योगः–		6639.00	115	जून 2015	5966.00	673.00
3	जुलाई से दिसम्बर 2015	बीए –1	3847.00				
4	जुलाई से दिसम्बर 2015	बीए –2	3183.00				
5	जुलाई से दिसम्बर 2015	बीए –3	2657.00				
	कुल योग		9687.00	120, 121	दिसम्बर 2015	9077.00	610.00
अन्तर का कुल योग							**1283.00**

21 छात्र शुल्कों (सरकारी) का रोकड़ बही में लेखांकन न करनाः–

महाविद्यालय में छात्र निधियों/शुल्कों के लेखाओं की जांच में पाया गया कि दिनांक 5–11–15 से 1–12–15 के दौरान छात्रों से दाखिला शुल्क इत्यादि की ₹43650 जिसका विवरण निम्न तालिका में दिया गया है, सरकारी शुल्क के रूप में वसूल की गई थी। अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत चालानों से स्पष्ट हुआ कि इस राशि को महाविद्यालय द्वारा यथासमय सरकारी कोषागार में तो जमा करवा दिया गया है परन्तु इसका लेखांकन किसी भी रोकड़ बही में प्राप्ति तथा भुगतान में दर्ज नहीं किया गया है। यह एक गम्भीर चूक है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण सहित अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में ऐसी चूक की पुर्नावृत्ति रोकने हेतु आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए।

क्र	दिनांक	वसूल राशि	चालान संख्या	चालान दिनांक
1	5.11.15	3900.00	6	6.11.15
2	6.11.15	12450.00	10	7.11.15
3	7.11.15	12600.00	7	9.11.15
4	9.11.15	2700.00	2	1211.15
5	16.11.15	4500.00	3	17.11.15
6	17.11.15	1800.00	3	18.11.15

7	20.11.15	2700.00	2	21.11.15
8	26.11.15	1800.00	4	27.11.15
9	1.12.15	1200.00	7	2.12.15
	कुल योग	**43650.00**		

22 छात्र निधियों से आहरित अग्रिम/उधार हेतु अनियमित प्रक्रिया को अपनाया जानाः–

छात्र निधियों की रोकड़ बही व वाउचर नस्तियों की जांच में पाया गया कि महाविद्यालय के समयबद्ध वैधानिक खर्चों का तय समय सीमा में भुगतान करने हेतु कई बार निधियों से अग्रिम राशियों का उधार के रूप आहरण किया गया है तथा सम्बन्धित मद में बजट व्यवस्था के होते ही इसे वापिस निधि में जमा करवा दिया गया है। परन्तु इस प्रकार के अग्रिम आहरित करते समय प्रतिपादित नियमों/प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई है। इस सन्दर्भ में मुख्यतः निम्नलिखित त्रुटियां अंकेक्षण के दौरान दर्ज की गई हैंः–

1. इस प्रकार के अग्रिम आहरित करते समय आरिणकर्ता अधिकारी/कर्मचारी से किसी प्रकार का अनुरोध पत्र नहीं लिया गया है।
2. इस प्रकार के अग्रिम के आहरण से पूर्व सम्बन्धित प्रधिकृत अधिकारी से व्यय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।
3. अधिकतर प्रकरणों में अग्रिम आहरण करते समय किसी प्रकार का व्यय वाउचर तैयार नहीं किया गया है तथा मात्र रोकड़ बही में व्यय इन्द्राज़ ही किया गया है।
4. इसी प्रकार अग्रिम/उधार की वापिसी के समय मात्र रोकड़ बही में आय इन्द्राज़ किया गया है तथा किसी प्रकार का समायोजन वाउचर नहीं बनाया गया है।

उपरोक्त त्रुटियों के सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को छात्र पंजीकरण शुल्क के भुगतान हेतु रोकड़ बही पृष्ठ 108 पर दिनांक 22/09/2014 को मिश्रित निधि से आहरित ₹21,917/– अग्रिम राशि, जिसे पृष्ठ 114 पर दिनांक 26/02/2015 को वापिस वसूल किया गया है, को उद्धृत्त किया जा सकता है। उपरोक्त त्रुटियों तथा अभिलेख के अभाव में न केवल अंकेक्षण जांच में दिक्कतें आती हैं बल्कि इस प्रकार के अग्रिम के वसूली/समायोजन से छूट जाने की सम्भावना भी बनी रहती है। अतः इस सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण के साथ भविष्य हेतु नियमानुसार उचित कार्यपद्धति का अपनाया जाना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23 सरकारी प्राप्तियों के जमा का राजकीय कोषागार में मिलान न करनाः–

महाविद्यालय द्वारा सरकारी प्राप्तियों जैसे की प्रवेश शुल्क विलम्ब प्रवेश शुल्क व शिक्षण शुल्क की राजकीय कोषागार में जमा करवाई राशियों का राजकीय कोष से मिलान नही किया जा रहा है। अतः जमा करवाई गई राशियों/सरकारी प्राप्तियों का मिलान कोषागार से किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस प्रक्रिया को भविष्य मे नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी इस बारे आपत्ति उठाई गई थी परन्तु अभी तक इस पर अनुपालनात्मक कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई है।

24 स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव में स्थाई अथवा अस्थाई मदों के इन्द्राज हेतु अलग–अलग रजिस्टरों का प्रयोग न करनाः–

सरकार द्वारा सरकारी धन से खरीदी गई मदों के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदी गई मदों का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोगिता के अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) मद के रूप में अलग–अलग रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए था। परन्तु राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में विभिन्न निधियों से खरीदी गई मदों का इन्द्राज़ करते समय उपरोक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। अतः तुरन्त प्रभाव से छात्र निधियों की नियमानुसार अलग–अलग स्थाई व अस्थाई भन्डारण रजिस्टर लगा कर प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके प्रविष्टियाँ की जानी सुनिश्चित की जाएं तथा इसके अतिरिक्त अब तक प्रयोग किए जा रहे भन्डारण रजिस्टरों में उपलब्ध शेष सामान को भी नए रजिस्टरों में स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

25 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि0प्र0 वित्तीय नियम 2009 में भण्डारण सम्बन्धी नियमों के अनुसार भण्डार का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

26 **लघु आपत्ति विवरणिका:–** इसे पृथक से जारी नहीं किया गया।

27 **निष्कर्ष:–** लेखाओं में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्या:– फिन(एल0ए0)एच(2)सी (15)(xi)(x)146/11 खण्ड–1, 5025–5027–दिनाँक 18.08. 2017ए शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1 उप सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हि0प्र0 शिमला–171002

2 निदेशक, शिक्षा (उच्चत्तर शिक्षा) विभाग हि0प्र0 शिमला–171001

पंजीकृत 3 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881